

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की प्रतीति में जारी है
----------------	----------------------------------	--

5/1/2022 अश्वि. अपीलान्त उप। रैस्पो. सं. 2 बाव प्रुदक्षुका के अनुपस्थित हैं। रैस्पो. सं. 2 के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती हैं। रैस्पो. सं. 3 ता. 5 की ओर से श्री रैमोन्दु गुजर एड. ने वकालतनामा पेश किया। फावली वास्ते बहस दि. 7/1/2022 को पेश हो।

(3)  
विविक्त जिला कलेक्टर  
दोंब

7/1/2022 अश्वि. अपीलान्त उप। अश्वि. रैस्पो. सं. 3 ता. 5 उप। फावली वास्ते बहस दि. 12/1/2022 को पेश हो।

(3)  
विविक्त जिला कलेक्टर  
दोंब

12/1/2022 अश्वि. अपीलान्त उप। अश्वि. रैस्पो. सं. 3 ता. 5 उप। फावली वास्ते बहस दि. 28/1/2022 को पेश हो।

(3)  
विविक्त जिला कलेक्टर  
दोंब

28/1/2022 अश्वि. अपीलान्त उप। अश्वि. रैस्पो. सं. 3 ता. 5 उप। फावली वास्ते बहस दि. 16/2/2022 को पेश हो।

(3)  
विविक्त जिला कलेक्टर  
दोंब

16/2/2022 अश्वि. अपीलान्त उप। अश्वि. रैस्पो. सं. 3 ता. 5 उप। फावली वास्ते बहस दि. 23/2/2022 को पेश हो।

(3)  
विविक्त जिला कलेक्टर  
दोंब

युज्जु + 1  
रिम-5 रिम  
मिथुन बंध  
दि 23/2/2022  
*[Signature]*  
*[Signature]*

अश्विभाषक अपीलान्त एवं अश्विभाषक रैस्पो. सं. 3 ता. 5 तथा पैरोकार सरकार उप। अश्विभाषक अपीलान्त एवं अश्विभाषक रैस्पो. सं. 3 ता. 5 ने दौरान बहस निवेदन किया है कि रामदेवा पुत्र रामचन्द्रु जाति मावली निवासी सोडा बाबड़ी ने आरान्नी खसरा नम्बर 2474 रकबा 1 बीघ 5 बिस्वा भूमि का 2/3 हिस्से की दासी पुत्र सुवालाल जाति मावली निवासी सोडा बाबड़ी को जारिये रजिस्टर्ड विरुद्ध फर्षीचाल किया है, परन्तु तहसीलदार मालपुरा द्वारा

38/2004

आराजी खसरा नम्बर 2474 रकबा 1 बीघा  
5 बिस्वा भूमि हिस्सा 2/3 का नामान्तरण  
तरदीक ना कर सम्पूर्ण खसरा नम्बर का  
नामान्तरण तरदीक किया गया है जो गलत है।  
अभिभाषक अपीलान्त एवं अन्विभाषक रैरपो.  
संख्या 3 ता. 5 ने नामान्तरण संख्या  
2026 दिनांक 20/08/2012 वाले ग्राम सौडा  
बावडी तहसील मालपुरा को तहसीलदार मालपुरा  
द्वारा गलत रूप से स्वीकार किये जाने से  
नामान्तरण को निरस्त कर पत्रकारन की  
सुनवाई कर तहसीलदार मालपुरा द्वारा पुनः  
विश्वित निर्णय पारित करने हेतु वांछित पत्रावली  
को रिमाण्ड करवाने बाबत सहमति प्रदान की है,  
जिस पर पैरीकार सरकार ने भी सहमति प्रदान  
की है।

इमने विद्वान अभिभाषक उच्चयपक्ष की  
बहस पर मजबूत किया तथा पत्रावली का अध्ययन  
किया। नामान्तरण संख्या 2026 दिनांक  
20/08/2012 वाले ग्राम सौडा बावडी तहसील मालपुरा  
को रामदेवा पुत्र रामचन्द्रु जाति माली सा. देह  
खातेदार के स्थान पर घासी पुत्र सुवालाल जाति  
माली सा. देह खातेदार के नाम तरदीक किया  
गया है।

अभिभाषक उच्चयपक्ष ने पत्रकारन की  
सुनवाई कर तहसीलदार मालपुरा द्वारा पुनः विश्वित  
निर्णय पारित करने हेतु वांछित पत्रावली को रिमाण्ड  
करवाने बाबत सहमति व्यक्त की है, जिस पर  
पैरीकार सरकार ने भी सहमति प्रदान की है। अतः  
तहसीलदार मालपुरा द्वारा स्वीकार किया गया जमा.  
संख्या 2026 दिनांक 20/08/2012 वाले ग्राम सौडा  
बावडी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीय होता है।

अतः उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार  
कर नामान्तरण संख्या 2026 दिनांक 20/08/2012  
वले ग्राम सौडा बावडी पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा  
पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार  
मालपुरा को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है।

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

है कि पत्रकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान  
करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।  
पत्रकारों की दिनांक 14/03/2022 की अधीनस्थ  
न्यायालय तहसीलदार मालपुरा के समक्ष समय  
10.00 ए.एम. पर उपस्थित होने लावत बुचित  
किया गया। पत्रिका पर स्वयं खारिज किया जा रहा  
पत्रावली निर्णय शुमार होकर लावत तहसील  
दाखिल हफर हो। 16.2.22

M. P. ...  
गंवरियात जिला हलफट  
मंजूर

7/2/22